न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/380

भवानी शंकर आत्मज किशोर जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

---अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण आत्मज किशोर जाति मीणा
2. मन्नालाल(मृतक) आत्मज किशोर जाति मीणा जर्ये कायम मुकामान–
   2/1 बालमुकन्द आत्मज मन्नालाल
   2/2 हेमराज आत्मज मन्नालाल
   2/3 जुगराज आत्मज मन्नालाल
   2/4 प्रेम पुत्री मन्नालाल पत्नी बद्रीलाल
   निवासीगण प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
   2/5 संतोष पुत्री मन्नालाल पत्नी भवानीशंकर जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा हाल छत्रपुरा उर्फ कुम्हारिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. शकुन्तला पत्नी इन्द्रराज जाति मीणा निवासी झाडगांव तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
4. पृथ्वीराज आत्मज बालमुकन्द जाति मीणा निवासी प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री तेजसिंह धाबाई, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 13.01.2026**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक इटावा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 30/2024 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता किशोर पुत्र चतरा जाति मीना के खाते की कृषि आराजी मुताबिक जमाबन्दी संवत 2026–39 खसरा नं. 77 रकबा 11 बीघा खसरा नं. 78 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं. 121 रकबा 6 बीघा, खसरा नं. 131 रकबा 13 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं. 217 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं. 222 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा खसरा नं. 292 रकबा 5 बिस्वा खसरा नं. 430 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 62 बीघा 4 बिस्वा कृषि आराजी वाके माल प्रेमपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज. में स्थित है। मद नं. 2 में वर्णित किशोर पुत्र चतरा मीणा के खाते वाली कृषि आराजी नामान्तकरण सं. 94 से विरासतन प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 के खाते दर्ज की गई तब से ही प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 2 बराबर बराबर हिस्सों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। ग्राम प्रेमपुरा की जमाबन्दी संवत 2036–39 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 2 बराबर बराबर हिस्से के खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। बाद सेटलमेंट, सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित साबिक खसरा नम्बरान की कृषि आराजी के नवीन खसरा नं. 208, 209, 210, 211, 51, 67, 125, 133, 131, 200, 706 कायम किए गए है। दोराने सेटलमेंट वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी के नवीन खसरा नम्बरान कायम करते समय प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 व 2 का सम्पूर्ण आराजी का विभाजन बंटवारा किया गया। अप्रार्थी कम 1 लक्ष्मीनारायण पुत्र किशोर को विभाजन में बंटवारा में खसरा नं. 67 दक्षिणी रकबा 1.02 है०, ख. नं. 125 रकबा 2.02 है0, ख.नं. 200 रकबा 0.07 है०, ख.नं. 211 रकबा 0.51 है०, किता 4 रकबा 3.62 है० आराजीयात तथा अप्रार्थी कम 2 मन्नालाल पुत्र किशोर को विभाजन बंटवारा के खसरा नं. 51 रकबा 0.89 है०, ख.नं. 67 उत्तरी रकबा 1.28 है०, ख.नं. 133 रकबा 0.99 है०, ख.नं. 208 रकबा 0.06 है०, ख.नं. 209 रकबा 0.05 है०, कुल किता 5 रकबा 3.27 है० की गई तथा प्रार्थी भवानीशंकर पुत्र किशोर को विभाजन में खसरा नं. 131 रकबा 0.33 है0, ख.नं. 210 रकबा 0.06 है०, ख.नं. 208 रकबा 2.24 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.63 है० कृषि भूमि दर्ज की गई। इस ग्राम प्रेमपुरा की कुल 11 किता की रकबा 9.52 है० भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 व 2 का विभाजन समान नहीं किया गया अन्य भाई अप्रार्थी कम 1 लक्ष्मीनारायण व अप्रार्थी कम 2 मन्नालाल की तुलना में 1.00 हैक्टर कृषि भूमि विभाजन में प्रार्थी को कम दी गई, विभाजन में कम दिये गये रकबा 1.00 हैक्टर की पूर्ति अप्रार्थीगण कम 1 व 2 के खातेदारी की कृषि आराजी से करवाने का प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कमी रकबा की पूर्ति खसरा नम्बर 209 रकबा 0.05 हैक्टर में 0.01 हैक्टर की कटोती करते हुये प्रार्थी के खाते दर्ज खसरा नम्बर 210 में मिलाकर

प्रार्थी को खसरा नम्बर 210 रकबा 0.07 है० किया जावे तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 0.51 हैक्टर में से 0.18 हैक्टर की कटोती करते हुये खसरा नम्बर 211 रकबा 0.51 हैक्टर में से 0.18 हैक्टर पर प्रार्थी के खाते दर्ज किया जावे। तथा प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 706 रकबा 2.24 है0 के लगवा सिवायचक खसरा नम्बर 705 रकबा 0.49 हैक्टर पर प्रार्थी को खातेदार दर्ज होने का अधिकारी है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार तथा वर्णित आराजी प्रार्थी के ही कब्जे काश्त में होने से प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता हैं। वर्णित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृ त रूप से वर्णित आराजी पर अवैध कब्जा कर लिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्याकंन किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 209 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नम्बर 210 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.51 हैक्टर खसरा नम्बर 706 रकबा 2.24 है0 खसरा नम्बर 705 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 0.06 है०, खसरा नं. 131 रकबा 0.33 हैक्टर पर प्रार्थी के शातिपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करे, उक्त कृषि आराजी को रहन, बैचान नहीं करे उक्त कृषि आराजी पर मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2025 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद

सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है जिसमे वाद मे वर्णित आराजी के हिस्से कम होने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है। चूंकि वाद की सुनवाई में समय लगेगा इसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 खसरा नंबर 210, 209 पर निर्माण काय करवा रहे है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीनण का कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण को रुकवाने शेष खसरा नंबरान 705 व 211 पर यथास्थिति कायम रखने हेतु वाद वर्णित संपत्ति पर वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट एवं सी.पी.सी. के प्रावधानो को नजरअंदाज कर आदेश पारित करने मे विधि की भूल कारित की है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने मे विधि की भूल कारित की है तथा बिना माइन्ड एप्लाई किए सरसरी तौर पर उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलांट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने कब्जे काश्त की आराजी को गैर खातेदारी से खातेदारी काश्तकार घोषित करवा सके । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आर्बीट्रेरी पर्वस एव केप्रिशियस की श्रेणी में आता है जो अपास्त किए जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा वाद विषय से संबन्धित पूर्व मे भी धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी थी जिसमे यह निर्णय पारित किया गया कि अपीलांट वादी को धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रार्थना पत्र मे कोई रिलीफ नही दी जा सकती तथा उक्त संबन्ध मे विधिवत घोषणा का दावा संबन्धित न्यायालय मे पेश करे इस कारण अपीलांट द्वारा उक्त वाद अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा निर्माण कार्य रुकवाने तथा मौके व रिकार्ड की यथाास्थिति बनाए रखने हेतु वाद पत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के पक्ष में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का

गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 209, 211, 706, 705, 210, 131 के सम्बंध में प्रार्थी अपीलांट के तथाकथित कब्जे काश्त में दखंलदाजी नहीं किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड व मोके की यथास्थिति कायम रखे जाने बाबत रेस्पोडेन्टगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन दौराने सेटलमेंट प्रार्थी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य किया गया तथा प्रार्थी अपीलांट का रकबा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के रकबे की तुलना में 1.00 हैक्टेयर त्रुटिपूर्ण रूप से कम दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि वह तथाकथित कमी रकबे की खसरा नम्बर 209, 211 व खसरा संख्या 705 की भूमि के रकबे से पूर्ति करवाने का अधिकारी है। अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 209, 210, 211, 706, 705, 131 के सम्बंध में रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है परन्तु प्रार्थी अपीलांट के खाते में केवल खसरा संख्या 131, 210, 706 की भूमि ही दर्ज रिकॉर्ड है। शेष खसरा संख्या 209, 211, 705 का प्रार्थी अपीलांट ना तो अभिलिखित खातेदार है और ना ही अपीलांट द्वारा खसरा संख्या 209, 211, 705 में स्वयं के कब्जे काश्त के समर्थन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। खसरा संख्या 209, 211, 705 की भूमि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। कोई विपरीत साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में खातेदारी की भूमि में अभिलिखित खातेदार का ही कब्जा काश्त माना जाता है। अतः प्रश्नगत खसरा संख्या 209, 211, 705 की भूमि पर अभिलिखित खातेदार रेस्पोडेन्टगण का ही कब्जा काश्त माना जावेगा। चूंकि रेस्पोडेन्टगण प्रश्नगत खसरा संख्या 209, 211, 705 की भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपीलांट द्वारा प्रश्नगत खसरा संख्या 209, 211, 705 की भूमि में कब्जे काश्त के समर्थन में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः प्रश्नगत खसरा संख्या 209, 211, 705 की भूमि के सम्बंध में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में होना प्रकट होता है। अपीलांट के तथाकथित रकबे के सम्बंध में अपीलांट के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में तय होना शेष है अतः अपीलांट प्रश्नगत खसरा संख्या 209, 211, 705 की भूमि के सम्बंध किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.09.2025 में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित

किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट्रेक इटावा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 30/2024 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2025 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

13/1/26

(मुरलीधर परिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा